न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

ग्यारसीलाल बनाम हरफूलसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 109/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
11-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक श्रीमाधोपुर से पत्रांक क्रमांक /भू.अ./23 दिनांक 10.10.2023 द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 17-10-23 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना	
17-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-10-23 को पेश हो।	
20.10.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने व साक्ष्य वादी हो जाने एंव भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वादपत्र को बहस में लिया गया। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 23.10.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.10.31 12:49:22 IST Reason: SelfAttested	
23.10.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

आरसीलाल बनाम हरफूलसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
दावा	मु.नं. - 109/2023
	किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया ज़ाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	Rathore 23/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
109 / 2023	2023 / 1043	01.08.2023	23.10.2023

उनवान प्रकरण

ग्यारसी लाल पुत्र चोखाराम उम्र 53 साल जाति जाट निवासी ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–वादी–

बनाम्

1–हरफूल सिंह पुत्र बालूराम आयु 56 साल

2–मोहनलाल पुत्र बालूराम आयु 65 साल

3. अर्जूनराम पुत्र भगवानाराम आयु 62 साल

4. बनवारी पुत्र भगवानाराम आयु 60 साल

5. मंगलचन्द पुत्र भगवानाराम आयु 30 साल

6. रामपाल पुत्र भगवानाराम आयु 54 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

8. शाखा प्रबन्धक,बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर

9. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से।

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम भारणी पटवार हल्का भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 603 कुल रक्बा 0.06 हैक्टर स्थित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी के कब्जे काश्त में अर्सा करीबन 20 वर्षो से है। इस बाबत पक्षकारान् ने आपस में एक लिखावट स्टाम्प किमती 100/- रूपये पर दिनांक 24.12.2004 को तहरीर तकमील की जाकर नोटेरी पब्लिक से लिखावट पंजीबद्ध भी की हुई हैं। इसी अनुसार वादी ने अपनी भूमि को चारों तरफ से सीमाओं से महदूद कर रखा है तथा अपनी भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त चला आ रहा है। इसी अनुसार वादी अपने पुराने कब्जे काश्त अनुसार खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के विधिक अधिकारी है। पक्षकारान् आपस में एक ही जाति व गांव व आपस में मधुर सम्बन्ध होने के कारण वादी ने पूर्व में उक्त लिखावट के आधार पर कोई चाराजोही पूर्व में नहीं की गई है परन्तु अब वर्तमान समय में जमीनों में वाद विवाद लगातार बढ़ने के कारण वादी को यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी ने अपनी भूमि के कब्जे काश्त अनुसार खातेदारी दर्ज कराने बाबत् पूर्व में हां करते रहे व आश्वासन देते रहे कि आप जब भी कहोगे हम आपके नाम बयान देकर खातेदारी दर्ज करा देगें। इस कारण वादी आश्वस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

22/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रहा परन्तु दिनांक 10.07.2023 को वादी ने प्रतिवादीगण को इस बाबत कहा तो वादी के नाम खातेदारी दर्ज कराने बाबत स्पष्ट इंकार हो गये तथा भूमियों को खुर्द बुर्द कर दीगर लोगों को अन्तरण करने की धमकी दी गई। इस कारण मजबूर होकर वादी को यह वादपत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी दर्ज कराने हेतु दिनांक 10.07.23 को इंकार होने से यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया जिससे वाद अन्दर मियाद है। बीरबल पुत्र भगवानाराम फौत हो चुका है। जिसके कोई वारिस नहीं है। उसके भाई प्रतिवादी संख्या–4 ता 6 ही वारिस है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि:–

राजस्व ग्राम भारणी पटवार हल्का भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 603 रक्बा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण हिस्सा का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है व वादी अपना नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी होने से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण व मृत्तक बीरबल पुत्र भगवानाराम का नाम हजफ फरमाये जाने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही दीगर से कराये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गईं। साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वादी ग्यारसीलाल पुत्र चोखाराम व वादी के साक्ष्य गवाह में फूलसिंह पुत्र चोखाराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी ने वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी जाने से पूर्व वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गईं। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरा नम्बर 603 रकबा 0.06 हैक्टर में मौके पर विकास प. उ. मा. विधालय का भवन बना होने तथा उक्त विधालय भवन के मालिक ग्यारसीलाल पुत्र चोखाराम के होने तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 603 रकबा 0.06 हैक्टर के खातेदारों बालूराम पुत्र मोतीराम द्वारा इकरारनामा दिनांक 24.12.2004 को चोखाराम पुत्र गंगूराम को बैचान कर दिया जाना तथा कब्जा आज दिनांक तक ग्यारसी लाल पुत्र चोखाराम का होने बाबत अवगत कराया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने एंव भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त [illegible] से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वा[illegible] का निस्तारण [illegible] निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दी, इकरारनामा दिनांक 24.12.2004 नोटेरीकृत तस्दीकशुदा, नक्शा ट्रेस की प्रति, मौका जॉच रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर व साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी व गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 603 रक्बा 0.06 हैक्टर तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अर्जूनराम, बनवारी, बीरबल, मंगलचन्द, रामपाल पुत्रगण भगवानाराम व मोहनलाल, हरफूलसिंह पुत्रगण बालूराम के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिसमें खातेदार बीरबल के मृत्तक होने तथा उसके कोई वारिस नहीं होकर प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 है, जो उसके भाई है, उनके वारिस होना वादी ने अपने वादपत्र में अंकित किया है। उक्त भूमि को बालूराम के द्वारा ग्यारसीलाल पुत्र चोखाराम व अन्य को जरिये इकरारनामा जो नोटेरी से तस्दीकशुदा है से बैचान किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जिसके अनुसार उक्त भूमियॉ वादी की पैत्रृक भूमियॉ होना प्रकट नहीं होती है। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त भारणी की फर्द मौका जॉच रिपोर्ट में भी उक्त खसरा नम्बर 603 रकबा 0.06 हैक्टर पर मौके पर उच्च माध्यमिक विधालय का भवन बना हो[illegible] विधालय के मालिक वादी ग्यारसी लाल पुत्र चोखाराम का होना[illegible] दिनांक तक वादी ग्यारसी लाल पुत्र चोखाराम का होना तथा उक्त भूमि [illegible]ये इकरारनामा से बैचान होना

Rathore
23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमका[illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी के पिता चोखाराम के द्वारा जरिये इकरारनामा से कय किया जाना प्रकट होता है। जिसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने से पूर्व उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि व इस पर निर्मित भवन का वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर मूल्यांकन किया जाकर मूल्यांकन राशि राज्यकोष में जमा करवाने की शर्त पर वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक लिफाफे सूचना भिजवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा इत्यादि नहीं है तथा उक्त भूमि पर वादी ही काविज है। यदि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की हकतलफी होती तो वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करते। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वादी ग्यारसीलाल पुत्र चोखाराम व वादी के साक्ष्य गवाह में फूलसिंह पुत्र चोखाराम के लिखितशुदा शपथ पत्रो से वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। वादी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को वर्तमान डी0एल0सी0 दरों पर भूमि व भवन की मूल्याकंन राशि जमा करवाने की शर्त पर स्वीकार किया जाकर दावा डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि यदि वादी उक्त वादग्रस्त भूमि

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खसरा नम्बर 603 रकबा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वर्तमान में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों के आधार पर उक्त भूमि व उस पर निर्मित भवन का तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नियमानुसार मूल्याकंन किया जाकर मूल्यांकित राशि वादी द्वारा राजकोष में जमा करवाई जाती है तो वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 603 रकबा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को काबिज खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व मृत्तक बीरबल पुत्र भगवानाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने व उक्त भूमि पर रहन इत्यादि हो तो वह रहन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अन्य भूमियों पर दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की भूमि के कब्जा में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरुस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)